क्रमांक 2244–2 जी0एस0–II–77/10526

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (ना हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 29–4–77 ।

विषय : भूतपूर्व सैनिकों के लिये सिविल सेवा में रियायतें ।

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और सूचित करूं कि सरकार ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी योग्यतायें पूर्ण करते हों परन्तु उनकी अपंगता इस सीमा तक हो कि वे टाईप सीखने के योग्य न हों तो ऐसे केसों में भूतपूर्व सैनिकों को टाईप की योग्यता प्राप्त करने में छूट होगी, यदि वे इस सम्बन्ध में नियुक्ति कर्ता की संतुष्टि के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

इन आदेशों को विधिवत पालना के लिये नोट किया जावे ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, सामान्य सेवाएं

कृते:0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित :–

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जाती है ।